पत्र संख्या-वैट-फार्म-VII-पंजीयन स्पष्टीकरण/2007-08/ 512 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वैट अनुभाग)
दिनांक::::लखनऊ::::जनवरी 14 , 08

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश वैल्यू ऐडेड टैक्स नियमावली, 2008 के अंतर्गत पंजीयन हेतु फार्म-VII निर्धारित किया गया है । इस सम्बन्ध में कतिपय संगठनों तथा अधिकारियों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए जिन पर विचार करते हुए पंजीयन व्यवस्था सरल बनाने के उद्देश्य से निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1- फार्म-VII के कॉलम-25 में कुछ अधिनियमों का उल्लेख करते हुए उसमें पंजीयन होने की दशा में उनके प्रमाण पत्र दाखिल करने की अपेक्षा की गयी है । इस कॉलम में संबंधित अधिनियम / विभाग का उल्लेख संक्षेप में किया गया है जिसको निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है :-

फार्म-VII में संक्षेप में अंकित अधिनियम	**संक्षेप में अंकित अधिनियम का पूर्ण नाम/तात्पर्य**
दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम	उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित)
मण्डी अधिनियम	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (यथा संशोधित)
रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं सोसाईटीज़ अधिनियम	सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (यथा संशोधित)
सर्विस टैक्स अधिनियम	सर्विस टैक्स रूल्स, 1994 (यथा संशोधित)
उद्योग विभाग	माईक्रो, स्माल एण्ड मीडियम एण्टरप्राईजेज डेवेलपमेन्ट ऐक्ट, 2006 (यथा संशोधित)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (यथा संशोधित)
केंद्रीय औषधि एवं श्रंगार प्रसाधन सामग्री अधिनियम	औषधि एवं श्रंगार प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (यथा संशोधित)
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ अधिनियम	कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित)
खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीयन	खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र

2- पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु जारी निर्देशों के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या 495 दि0-8.1.2008 द्वारा फार्म-VII के निर्देश के क्रमांक-4 व 5 में दो प्रपत्र के स्थान पर एक-एक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर पते के सत्यापन की शर्त पूर्ण मानी जाएगी । जहां तक किसी अभिलेख के पंजीकृत होने या न होने का प्रश्न है तो स्पष्ट किया जाता है कि स्टॉम्प ऐक्ट, 1899 (यथा संशोधित 2005) तथा द रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 के अंतर्गत लागू प्राविधान यथावत लागू होंगे ।

3- फार्म-VII के दिशा निर्देश में क्रम संख्या 4 में उप क्रमांक c के बाद d निम्न प्रकार जोड़ दिया जाए :-

d. ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र / किसान बही की प्रति / अन्य राजस्व अभिलेख ।

4- फार्म-VII के दिशा निर्देश में क्रम संख्या 5 में उप क्रमांक d के बाद e निम्न प्रकार जोड़ दिया जाए :-

e. पैतृक सम्पत्ति के मामले में परिवार के किसी सदस्य, जिसके नाम सम्पत्ति है, से संबंधित गृहकर, जलकर या इस प्रकार का अन्य कोई अभिलेख जिससे स्वामित्व प्रमाणित होता हो ।

5- व्यापारी के प्रस्तावक में पहले केवल पंजीकृत व्यापारियों को अधिकृत किया गया था । पंजीकृत व्यापारी के साथ-साथ अधिवक्ता भी व्यापारी के प्रस्तावक के रूप में मान्य होंगे ।

अत: आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त निर्देशों से अपने जोन / संभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों को अवगत कराने के साथ-साथ समस्त व्यापारिक संघों / अधिवक्ता संघों एवं व्यापारियों को अवगत कराते हुए यथोचित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ ।